परिशिष्ट 8

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग उप-राजस्व अधिकारी सेवा नियमावली, 1984[1]

विषय-सूची

भाग—एक

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
2. सेवा की प्रास्थिति
3. परिभाषाएँ

भाग—दो

संवर्ग

4. सेवा का संवर्ग

भाग—तीन

भर्ती

5. भर्ती का स्रोत
6. आरक्षण

भाग—चार

भर्ती की प्रक्रिया

7. रिक्तियों का अवधारण
8. प्रक्रिया

भाग—पाँच

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

9. नियुक्ति
10. परिवीक्षा
11. स्थायीकरण
12. ज्येष्ठता

भाग—छः

वेतनमान इत्यादि

13. वेतनमान

भाग—सात

अन्य उपबन्ध

14. पक्ष समर्थन
15. अन्य विषयों का विनियमन
16. सेवा की शर्तों में शिथिलता
17. व्यावृत्ति

भाग—एक
सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग उप-राजस्व अधिकारी सेवा नियमावली, 1984 कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. सेवा की प्रास्थिति—उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग उप-राजस्व अधिकारी सेवा, एक ऐसी सेवा है, जिसमें सेवा की प्रास्थिति समूह "ख" के पद समाविष्ट हैं।

3. परिभाषाएँ—जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में—

(क) "*नियुक्ति प्राधिकारी*" का तात्पर्य प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश या ऐसे मुख्य अभियन्ता से है जिसे प्रमुख अभियन्ता द्वारा विभाग के राजस्व अधिष्ठान की देख-रेख करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाए;

(ख) "*संविधान*" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है;

(ग) "*सरकार*" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(घ) "*राज्यपाल*" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

---

1. यह नियमावली अधिसूचना संख्या 3818/दो-84/23-सिं०-2/159-80, दिनांक 29 अक्टूबर, 1984 द्वारा पारित की गयी

(ङ) *"सेवा का सदस्य"* का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त निमयों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) *"सेवा"* का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग उप-राजस्व अधिकारी सेवा से है;

(छ) *"मौलिक नियुक्ति"* का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो।

भाग—दो

संवर्ग

4. सेवा का संवर्ग—(1) सेवा की सदस्य-संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए।

(2) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिए जाएँ, सेवा की सदस्य-संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है—

स्थायी	.....	42
अस्थायी	.....	98
योग	.....	140

परन्तु—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे स्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा;

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का समय-समय पर सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग—तीन

भर्ती

5. भर्ती का स्त्रोत—सेवा में पदों पर भर्ती इस नियमावली के भाग-चार में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसे स्थायी जिलेदारों में से की जाएगी जिन्होंने जिस वर्ष चयन किया जाए, उस कलेण्डर वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को विभाग में जिलेदार के रूप में छः वर्ष की सेवा, अस्थायी सेवा को सम्मिलित करते हुए, जिसमें तदर्थ रूप से की गयी सेवा सम्मिलित नहीं की जाएगी, पूरी कर ली हो और नहर विधि परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

6. आरक्षण—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

भाग—चार

भर्ती की प्रक्रिया

7. रिक्तियों का अवधारण—नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उनकी सूचना आयोग को देगा।

8. प्रक्रिया—भर्ती श्रेष्ठता के आधार पर, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जाएगी।

भाग—पाँच

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

9. नियुक्ति—(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ उसी क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम नियम 8 के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी सूची में हों।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों में भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूची से नियुक्तियाँ कर सकता है। यदि इस सूची का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्ति में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियाँ कर सकता है और ऐसी नियुक्तियों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 के विनियम 6 (सी) के उपबन्ध लागू होंगे।

10. परिवीक्षा—(1) सेवा में नियम 9 के अधीन किसी व्यक्ति को स्थायी किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएँगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जब तक अवधि बढ़ायी जाए :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाए परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जाएगी।

(3) यदि परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे जिलेदार के उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाए वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी उप-राजस्व अधिकारी के रूप में स्थानापन्न अथवा अस्थायी की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

11. स्थायीकरण—किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जाएगा, यदि—

(क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाए;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाए;

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

12. ज्येष्ठता—सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता किसी एक चयन के आधार पर वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिसमें उन्हें पदोन्नत किया गया।

भाग—छः

वेतनमान इत्यादि

13. वेतनमान*—(1) सेवा में, चाहे स्थायी या अस्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए।

---

* कृपया नये वेतनमान के लिए नवीनतम् शासनादेश *देखिए*

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान रुपये 690-40-970-द० रो०-40-1050-50-1200-द० रो०-50-1300-60-1420 है।

भाग—सात

अन्य उपबन्ध

14. पक्ष समर्थन—पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह करेगा।

15. अन्य विषयों का विनियमन—ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

16. सेवा की शर्तों में शिथिलता—जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह, उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है :

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहाँ उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति देने या उसे शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जाएगा।

17. व्यावृत्ति—इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

———